


04-09-25

फावली पैरा 1 वकील अभ्यक्ष उपो 1  
वकील अभ्यक्ष को सुना गया। बहस पर मनन  
करने एवं फावली का अपलोकन करने पर  
पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार  
पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पर स्वीकार योग्य  
होने के कारण स्वीकार किया जाता है।  
विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर  
सलगन किया गया। फावली बाद तर्तीष  
तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर पुले न्यायालय

में सुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार-जोषन)  
RAS.